न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 92/2019 **दायरा दिनांक : 03.07.2019**

उनवान

देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री मोहनलाल, दत्तक पुत्र श्री कल्याण, आयु 24 वर्ष, जाति मेहर, निवासी ग्राम कुश्या, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— नट्टी बाई पुत्री पन्ना पत्नी श्री भैरूलाल, आयु 70 वर्ष, जाति मेहर, निवासी सोनवां हाल निवासी ग्राम नौताड़ा, तहसील दीगोद, जिला कोटा

2— कल्यणी पुत्री श्री गणेशराम पत्नी श्री रंगलाल, आयु 90 वर्ष, जाति मेहर, निवासी ग्राम कुश्या, तहसील मांगरोल, जिला बारां

3— मोहन लाल पुत्र श्री रंगलाल आयु 55 वर्ष, जाति मेहर, निवासी ग्राम कुश्या, तहसील मांगरोल, जिला बारां

4— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 93/2019 **दायरा दिनांक : 03.07.2019**

उनवान

देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री मोहनलाल, दत्तक पुत्र श्री कल्याण, आयु 24 वर्ष, जाति मेहर, निवासी ग्राम कुश्या, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— नट्टी बाई पुत्री पन्ना पत्नी श्री भैरूलाल, आयु 70 वर्ष, जाति मेहर, निवासी सोनवां हाल निवासी ग्राम नौताड़ा, तहसील दीगोद, जिला कोटा

2— कल्यणी पुत्री श्री गणेशराम पत्नी श्री रंगलाल, आयु 90 वर्ष, जाति मेहर, निवासी ग्राम कुश्या, तहसील मांगरोल, जिला बारां

3— मोहन लाल पुत्र श्री रंगलाल आयु 55 वर्ष, जाति मेहर, निवासी ग्राम कुश्या, तहसील मांगरोल, जिला बारां

4— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां

..... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री कमलदीप सिंह एवं श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक

अपीलांट की ओर से

श्री बृजराज किशोर शर्मा एवं श्री धर्मेन्द्र सिंह चौधरी

अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 10.01.2020**

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या — 133/2018 निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 13.11.2018 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 21.12.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील संख्या 93/2019 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक तरफा प्रारम्भिक डिक्री व निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों एवं दस्तावेजातों व हिन्दू उत्तराधिकार विधि, प्रक्रिया विधि के प्रावधानों के अनुरूप पारित नहीं किया है । यह कि पन्ना, गंगा का पुत्र नहीं है, गंगा का पति है । गंगा बाई नन्दा की

पुत्री है, जिसकी माता बेवा गेन्दी ने पुत्री गंगा के लिये पन्ना को घरजंवाई अपने पास ग्राम बगावदा, तहसील दीगोद, जिला कोटा में रख लिया था । वादिया रेस्पोडेंट क्रम 1 ने वाद पत्र में मिथ्या सजरा बनाकर अपीलांट के खातेदारी की आराजी को हड़पने के लिये उक्त वाद पेश किया है । वाद के तथ्यों को वादिया ने साक्ष्य एवं दस्तावेजों से साबित नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादिया रेस्पोडेंट क्रम 1 एवं गवाहान द्वारा मुख्य परीक्षा शपथ पत्रों को न्यायालय के समक्ष शपथ टेण्डर करवाये बिना ही गवाहान के अमान्य शपथ पत्रों के आधार पर विवाद्यकों का विनिश्चय कर, अपीलांट के विरूद्ध दावा डिक्री करने में तथ्य एवं विधि की भूल की है जिससे प्रारम्भिक डिक्री निरस्त होने योग्य है । विवादग्रस्त आराजी का अपीलांट का दत्तक पिता कल्याण एक मात्र खातेदार था । खातेदार कल्याण का अपीलांट रजिस्टर्ड गोद पुत्र है । मृतक कल्याण का फौती इंतकाल 326 दिनांक 27.11.2010 दत्तक पुत्र के हक में दाखिल खारिज हुआ । कल्याण की मृत्यु उपरान्त से अपीलांट ही विवादित आराजी पर बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है । वाद में बेदखली का अनुतोष प्राप्त किये बिना रेस्पोडेंट क्रम 1 अपने खातेदारी हकों की घोषणा करवाने की अधिकारिणी न होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट क्रम 1 के पक्ष में वाद डिक्री किया है । रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्यों एवं सजरे में वर्णित अनुसार मृतक गणेश के दो पुत्र पन्ना, कल्याण पुत्री कल्याणी एवं बेवा शंकरी थे । पन्ना के 1/4 हिस्सें में मृतक पन्ना की दारे पुत्रियां नैनी, नट्टी विधिक उत्तराधिकारी हैं । नैनी एवं उसके वारिसान को वाद में पक्षकार नहीं बनाया है । मृतक पन्ना के 1/4 हिस्से में वादिया नट्टी का 1/2 यानि कुल 1/8 हिस्सा हिन्दू उत्तराधिकार अनुसार बनता है । हिन्दू उत्तराधिकार विधि के विरासतन प्रावधानों को अनदेखा कर मनमाने तरीके से विवादित आराजी में वादिया को 1/2 हिस्सा आराजी का खातेदार कृषक घोषित कर निर्णय व डिक्री पारित कर विधि एवं तथ्य की भूल की है । दत्तक के विवाद्यक को निर्णित करने का एक मात्र क्षेत्राधिकार

सिविल न्यायालय को है । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना साक्ष्य एवं दस्तावेजों के विवाद्यक सं. 1 का विनिश्चय कर हिन्दू उत्तराधिकार विधि के विरूद्ध वादिया का 1/8 के बाये 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया है जो अवैधानिक होने से निरस्तनीय है । विवाद्यक संख्या 2 ''आया दिनांक 09.01.2008 को दर्ज पंजीकृत गोदनामा फर्जी होकर खारिज योग्य है।''उक्त विवाद्यक का क्षेत्राधिकार से परे जाकर किये गये विनिश्चय में भी तनकी नम्बर 2 को वादिया के विरूद्ध व प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित किया है । तनकी नम्बर 3 दादरसी में 1/2 हिस्सा आराजी का मृतक कल्याण को खातेदार घोषित किया है, जबकि पारित आदेश में कल्याण के दत्तक पुत्र देवेन्द्र कुमार प्रतिवादी क्रम 3 को 1/2 हिस्सा आराजी का खातेदार घोषित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध विवाद्यकों एवं तथ्यों से असंगत मनमाना निणय व डिक्री पारित की है जो निरस्तनीय है ।अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एक तरफा निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 13.11.2018 अपास्त की जाये ।

अपील संख्या 92/2019 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय व अंतिम डिक्री एक तरफा पारित प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त बंटवारा स्कीम जो राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के प्रावधानों से असंगत एवं मनमाना होने से निरस्तनीय है । प्रारम्भिक डिक्री व निर्णय में पारित आदेश में मृतक खातेदार कल्याण का 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया गया, मृत व्यक्ति के नाम से पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री अकृत एवं शून्य होने से पालना नहीं की जा सकती । तहसीलदार द्वारा जो बंटवारा प्रस्ताव बनाया वह अपीलांट एवं रेस्पोडेंट क्रम 2 व 3 को बिना सूचना दिये एवं बिना सहमति के बनाया गया है । बंटवारा प्रस्ताव बनाते समय राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । विवादित आराजी के 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक मृतक कल्याण को घोषित किया है जो

त्रुटिपूर्ण है । मृतक कल्याण का दत्तक पुत्र अपीलांट जो जीवित उत्तराधिकारी एवं राजस्व रिकार्ड में खातेदार था को मृतक कल्याण का उत्तराधिकारी न मानकर प्रारम्भिक डिक्री में मृतक रामकल्याण के 1/2 हिस्सा आराजी का कल्याणी बाई प्रतिवादी क्रम 1 को खातेदार घोषित कर अंतिम डिक्री पारित की है जो अवैधानिक होने से निरस्तनीय है । अंतिम डिक्री व निर्णय दिनांक 21.12.2018 अवैधानिक डिक्री दिनांक 13.11.2018 से असंगत एवं अवैधानिक बंटवारा प्रस्ताव पर आधारित होने से निरस्तनीय है । अकृत एवं शून्य प्रारम्भिक डिक्री एवं निर्णय दिनांक 13.11.2018 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री एवं निर्णय दिनांक 21.12.2018 भी अकृत एवं शून्य होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 21.12.2018 अपास्त की जाये ।

दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 18.06.2019 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस पेश की एवं धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 पेज 323, 2006 डी एन जे (एस सी) पेज 967, 2015 डी एन जे (एस सी) पेज 1088 की नजीरे पेश की जो शामिल पत्रावली की गई तथा अभिभाषक अपीलांट ने मौखिक की तथा 2012 डी एन जे (एस सी) पेज 89, आर आर टी 2016–17 (सप्लीमेन्ट्री) पेज 256 की नजीरे पेश की जो शामिल पत्रावली की गई । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अपीलांट न मूल वाद में, न अपील में नट्टी बाई के पन्ना की पुत्री नहीं होने का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया । कल्याण के पूर्व ही नट्टी बाई के हकाधिकार होने से गोदनामा नट्टी बाई के अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है । इस परिपेक्ष में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले अपील संख्या 92/2019 एवं 93/2019 अपीलांट अस्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 13.11.2018 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 21.12.2018 यथावत रखे जाते हैं ।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा